सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 3 राँची, गुरुवार, 16 पौष, 1947 (श०) / 6 जनवरी, 2026 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2025

संख्या-एल0जी0-03/2025-57/लेज0,--झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-13/12/2025 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) अधिनियम, 2025
(झारखण्ड अधिनियम-13, 2025)

विषय-सूची

अध्याय- 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अनुप्रयोग:-
2. परिभाषाएं:-

अध्याय: II

प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड

3. झारखंड प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड:-
4. बोर्ड की संरचना:-
5. बोर्ड की बैठक :-
6. बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य:-
7. बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी:-
8. वेतन एवं भत्ते:-
9. लेखा एवं लेखा परीक्षा:-

अध्याय: III
प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों और एग्रीगेटर्स का पंजीकरण

10. प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों का पंजीकरण:-
11. एग्रीगेटर्स का पंजीकरण:-

अध्याय: IV
प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कोष और कल्याण अंशदान

12. प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स श्रमिकों के लिए कोष:-
13. प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण अंशदान:-
14. केंद्रीय संचालन सूचना और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ट्रैकिंग और निगरानी:-
15. सामाजिक सुरक्षा पहल प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स के लिए कल्याण अंशदान में छूट:-

अध्याय-V
प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के अधिकार

16. प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के अधिकार:-

अध्याय: VI
एग्रीगेटर्स की जिम्मेदारी

17. एग्रीगेटर्स की जिम्मेदारियाँ -

अध्याय VII
शिकायतें, अपील और कल्याणकारी अंशदान की वसूली

18. टोल फ्री कॉल सेंटर या हेल्पलाइन:-
19. प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र:-
20. आंतरिक विवाद समाधान समिति:-

अध्याय- VIII
अपराध और दंड

21. अपराधों के लिए सामान्य दंड:-
22. कंपनियों द्वारा अपराध:-
23. अपराधों का संज्ञान:-
24. अपराधों का शमन:-
25. विशिष्ट अपराध और दंड:-

अध्याय- IX
विविध

26. वार्षिक रिपोर्ट:-
27. अधिनियम का किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होना:-
28. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण:-
29. विनियम बनाने की शक्ति:-
30. नियम बनाने की शक्ति:-
31. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति-
32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

अनुसूची- I

झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) अधिनियम, 2025

प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वचालित प्रणालियों में पारदर्शिता और विवाद समाधान से संबंधित प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारियाँ लागू करने के लिए यह विधेयक है। साथ ही, प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स के लिए एक कल्याण बोर्ड और एक कल्याण कोष की स्थापना करना, उन्हें और राज्य के भीतर के प्लेटफॉर्मस को पंजीकृत करना और संबंधित मामलों को संबोधित करना है।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाए:-

अध्याय- 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अनुप्रयोग:-

i. इस अधिनियम को झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) अधिनियम, 2025 कहलायेगा।

ii. इसका विस्तार पूरे झारखंड राज्य में होगा।

iii. यह उस तारीख को लागू होगा जिसे राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी।

बशर्ते कि अधिनियम के प्रावधान अधिनियमन की तारीख से एक सौ बीसवें दिन या अधिसूचना की तारीख से, जो भी पहले हो, शुरू हुए माने जाएंगे।

iv. यह लागू होता है:-

(क) झारखंड राज्य में संचालित एग्रीगेटर,

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट कोई एक या अधिक सेवाएं प्रदान करने वाला एग्रीगेटर,

(ग) झारखंड राज्य में की जा रही कोई सेवा या कार्य, तथा कोई सेवा या कार्य जो अधिनियम की धारा 2 (ख), (ड़) और (झ) के तहत क्रमशः परिभाषित गिग वर्कर, एग्रीगेटर और प्लेटफॉर्म की परिभाषा को पूर्ण करता है।

2. परिभाषाएं:-

i. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "**स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाली प्रणालियाँ**" से अभिप्राय उन प्रणालियों से है, जो प्लेटफॉर्म कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्य निष्पादन, या कार्य वातावरण के भीतर की जाने वाली गतिविधियों, जिसमें व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना भी शामिल है, की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निगरानी, पर्यवेक्षण या मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाती हैं या उनका समर्थन करती हैं।

(ख) "**गिग श्रमिक**" का अर्थ है वह व्यक्ति जो काम करता है या काम की व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है और जो ऐसे अनुबंध पर काम करता है जिसके परिणामस्वरूप भुगतान की एक निश्चित दर होती है, जो ऐसे अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों पर आधारित होती है और इसमें सभी खण्ड-दर काम शामिल होते हैं।

(ग) "**पारिश्रमिक**" से अभिप्राय प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक को एग्रीगेटर द्वारा किए गए कार्य के बदले में भुगतान की जाने वाली कुल राशि से है। इसमें मूल वेतन, बोनस, प्रोत्साहन, कटौती (यदि कोई हो) और प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य मुआवजा शामिल है।

(घ) "**न्यूनतम पारिश्रमिक**" का अर्थ है न्यूनतम भुगतान जिसे प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक प्राप्त करने का हकदार है, जिसकी गणना प्रत्येक कार्य के लिए व्यतीत किए गए समय और यात्रा की दूरी के आधार पर की जाती है। यह

सुनिश्चित करता है कि गिग वर्करों को उनकी सहभागिता की अवधि और कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास दोनों के लिए उचित मुआवजा दिया जाता है।

(ङ) "**एग्रीगेटर**" से अभिप्राय किसी सेवा के क्रेता या उपयोगकर्ता के लिए विक्रेता या सेवा प्रदाता से जुड़ने के लिए एक डिजिटल मध्यस्थ से है, और इसमें कोई भी इकाई शामिल है जो सेवाएं प्रदान करने के लिए एक या अधिक एग्रीगेटर के साथ समन्वय करती है, या प्लेटफॉर्म को आपस में अंतरसंचालन करने की अनुमति देती है।

(च) "**बोर्ड**" का अर्थ है धारा 3 के तहत गठित झारखंड प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड।

(छ) "**कोष**" का अर्थ है अधिनियम की धारा 12 के तहत गठित झारखंड प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष।

(ज) "**अपील प्राधिकरण**" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नामित अधिकारी।

(झ) "**प्लेटफॉर्म**" का अर्थ है काम की एक ऑनलाइन लेनदेन-आधारित व्यवस्था जो निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है:-

i. यह कम से कम आंशिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, जैसे वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके दूरी पर प्रदान की जाती है।

ii. यह सेवा, प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर प्रदान की जाती है।

iii. इसमें एक आवश्यक घटक के रूप में, भुगतान के बदले में व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का संगठन शामिल है, भले ही वह काम ऑनलाइन किया गया हो या किसी निश्चित स्थान पर,

iv. इसमें स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाली प्रणालियों का उपयोग शामिल है।

(ञ) "**प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक**" का अर्थ है एक गिग वर्कर जिसका काम इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त होता है

(ट) "**निर्धारित**" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

(ठ) "**विनियम**" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमन;

(ड) "**नियम**" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम;

(ढ़) "**राज्य सरकार**" का अर्थ है झारखंड सरकार;

(ण) "**विशिष्ट आईडी**" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के अनुसार पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों को जारी किया गया विशिष्ट नंबर;

(त) "**कल्याण अंशदान**" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 13 के तहत लगाया गया योगदान;

(थ) "**अधिसूचना**" का अर्थ है किसी राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, जैसा भी मामला हो, और "अधिसूचित करें" शब्द को इसके व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ तदनुसार समझा जाएगा;

(द) "**शिकायत निवारण अधिकारी**" का अर्थ है धारा 19 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी;

(ध) "**समाप्त**" या "**समाप्ति**" का अर्थ है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गिग श्रमिकों की पहुंच को भौतिक रूप से प्रतिबंधित करना, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गिग वर्कर्स की पहुंच को अवरुद्ध करना, गिग श्रमिक को निलंबित करना, या गिग वर्कर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से अयोग्य बनाना शामिल है।

अध्याय: II

प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड

3. **झारखंड प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड:-**

i. राज्य सरकार, ऐसी तिथि से प्रभावी एक बोर्ड का गठन करेगी, जिसे झारखंड प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा, जो इसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा।

ii. राज्य सरकार, जब भी आवश्यक हो, सामान्य या क्षेत्र-विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों को अधिसूचित कर सकती है जिन्हें बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

iii. बोर्ड का मुख्यालय रांची, झारखंड में होगा।

4. बोर्ड की संरचना:-

i. बोर्ड में शामिल होंगे-

(i)	प्रभारी मंत्री, श्रम विभाग, झारखंड	पदेन अध्यक्ष
(ii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, या उनके द्वारा नामित सदस्य	पदेन सदस्य सचिव
(iii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव, उद्योग विभाग, या उनके द्वारा नामित सदस्य	पदेन सदस्य
(iv)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव, परिवहन विभाग, या उनके द्वारा नामित पदेन सदस्य	पदेन सदस्य
(v)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, या उनके द्वारा नामित पदेन सदस्य	पदेन सदस्य
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित सिविल सोसायटी (श्रमिक संघों या प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव वाले किसी अन्य व्यक्ति सहित) के तीन प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	डेटा संग्रह और आईटी सिस्टम, नीति आदि के क्षेत्र में एक तकनीकी या कार्यात्मक विशेषज्ञ को इनपुट प्रदान करने के लिए आवश्यक होने पर आमंत्रित किया जा सकता है।	सदस्य

बशर्ते कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड के नामांकित सदस्यों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं शामिल हों।

II. बोर्ड के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

बशर्ते कि यदि राज्य सरकार उचित समझे तो उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है।

III. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) के अंतर्गत मृत्यु त्यागपत्र, अयोग्यता या हटाए जाने के कारण होने वाली किसी रिक्ति की स्थिति में, ऐसी रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा शेष कार्यकाल के लिए नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा।

IV. बोर्ड का कोई भी मनोनीत सदस्य किसी भी समय अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा।

V. कोई भी व्यक्ति बोर्ड का मनोनीत सदस्य नहीं चुना जाएगा या बना नहीं रहेगाजो-

(क) बोर्ड का वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी है, या

(ख) दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है, या

(ग) पागल पाया जाता है या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, या

(घ) नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या सिद्धदोष ठहराया गया है।

VI. राज्य सरकार किसी भी मनोनीत सदस्य को पद से हटा सकती है, जो इस धारा की उपधारा 3 में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है या हो गया है, या बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अधिक बोर्ड की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है।

5. बोर्ड की बैठक:-

I. बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के लिए प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सके।

II. बोर्ड छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

बशर्ते कि अध्यक्ष बोर्ड के कम से कम छह सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बोर्ड की अतिरिक्त बैठक बुला सकता है ।

III. अध्यक्ष या यदि किसी कारण से वे बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

IV. बोर्ड की किसी बैठक में आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, तथा मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले दूसरे व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

V. बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत होगी।

6. बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य:-

I. बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य निम्नानुसार होंगे:-

(क) इस अधिनियम और संबद्ध नियमों के प्रावधानों के अनुसार गिग श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करना ।

(ख) इस अधिनियम और संबद्ध नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य में संचालित एग्रीगेटर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करना।

(ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने और यह प्रमाणित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना कि कल्याण अंशदान की कटौती विधिवत की जा रही है।

(घ) इस धारा की उपधारा (ड़) के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में संचालित एग्रीगेटर्स से संबंधित सकल राजस्व और किसी अन्य वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी के लिए झारखंड सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के साथ समन्वय और संवाद करना,

(ड़) अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रशासन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय और संवाद करना,

(च) बोर्ड समय-समय पर, प्रत्येक कार्य के लिए खर्च किए गए समय और यात्रा की गई दूरी के आधार पर, प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए मानदंड और मेट्रिक्स निर्धारित करेगा। बोर्ड मौजूदा उद्योग प्रथाओं और आर्थिक स्थितियों के आलोक में निष्पक्षता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऐसे मेट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन करेगा।

(छ) पंजीकृत प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए समय-समय पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं तैयार करना और अधिसूचित करना,

(ज) बोर्ड के पास अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर्स द्वारा प्रस्तुत कल्याणकारी अंशदान छूट के लिए आवेदनों का मूल्यांकन, अनुमोदन और निगरानी करने का अधिकार होगा।

(झ) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि एग्रीगेटर्स लगाए गए कल्याण अंशदान की भरपाई के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारण प्रथाओं में संलग्न नहीं होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि लागत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं या गिग श्रमिकों पर नहीं डाली जाएगी।

(ञ) झारखंड प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड, कल्याण अंयादान के कार्यान्वयन से पहले और बाद में समय-समय पर एग्रीगेटर्स के मूल्य निर्धारण रुझानों की निगरानी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागत अलग-अलग मूल्य निर्धारण या प्रच्छन्न अधिभार के माध्यम से उपभोक्ताओं को हस्तांतरित नहीं की जा रही है।

(ट) बोर्ड के पास ऑडिट करने, मूल्य में उतार-चढ़ाव पर एग्रीगेटर्स से स्पष्टीकरण मांगने और लागत हस्तांतरण के मामलों की पहचान होने पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

(ठ) बोर्ड दी गई छूटों का दस्तावेजीकरण करके और उनके प्रभाव पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके पारदर्शिता बनाए रखेगा,

(ड) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाले अंशदानों के आधार पर सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रशासन और निगरानी को सुनिश्चित करेगा और गिग श्रमिकों को आवंटित विशिष्ट आईडी से जुड़े व्यक्तिगत सामाजिक सुरक्षा खातों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभ वितरित करेगा,

(ढ़) यह सुनिश्चित किया जाएगा इस अधिनियम के तहत प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित हैं,

(ण) प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के साथ काम करने वाले पंजीकृत यूनियनों या प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के साथ सीधे संपर्क बनाए रखना और उनके साथ नियमित रूप से खुला परामर्श आयोजित करना;

(त) ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों को नामित करना जो किसी पंजीकृत प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक की ओर से किसी कानून या उसके तहत बनाए गए नियमों या किसी ऐसे कानून के तहत किए गए पुरस्कार या निपटान के तहत कोई दावा करने के लिए कार्रवाई शुरू करने और पंजीकृत प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक की ओर से ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए सक्षम होंगे।

(थ) बोर्ड एग्रीगेटर द्वारा फंड में दिए गए कल्याण अंशदान का आकलन करने और बोर्ड को उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक अधिकारी को नामित करेगा।

(द) प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को मिलने वाले सभी मौद्रिक लाभों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित करना;

(ध) योजनाओं या किसी भी कार्य तक पहुंच को सरल बनाने के लिए टोलफ्री कॉल सेंटर, सुविधा केंद्र या ऐसी कोई भी व्यवस्था स्थापित करना, जैसा कि उचित समझा जाए,

(न) योजनाओं के निर्माण, उनकी समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन करना,

बशर्ते कि समिति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ अभिसरण की तलाश करेगी ताकि सामाजिक सुरक्षा योगदान का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके और साथ ही प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को अधिकतम संभव लाभ मिल सके।

II. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत तैयार और अधिसूचित योजनाएं निम्नलिखित से संबंधित होंगी -

(क) दुर्घटना बीमा, दुर्घटना, चिकित्सा आपात स्थिति और स्वास्थ्य बीमा या अन्य स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ के मामले में तत्काल सहायता;

(ख) ऋण,

(ग) प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के बच्चों और उनके लिए शिक्षा योजनाएं,

(घ) श्रमिकों का कौशल उन्नयन,

(ङ) अंतिम संस्कार सहायता,

(च) वृद्धावस्था सुरक्षा और

(छ) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य लाभ।

III. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक योजना में ऐसे मामलों का प्रावधान किया जाएगा जो योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित मामले शामिल हैं,

(क) योजना का दायरा,

(ख) योजना के लाभार्थी

(ग) योजना के संसाधन,

(घ) एजेंसी या एजेंसियां जो योजना को लागू करेंगी,

(ङ) शिकायतों का निवारण और

(च) कोई अन्य प्रासंगिक मामला।

7. बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी:-

I. बोर्ड ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

II. बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें एवं नियम तथा उन्हें देय वेतन एवं भत्ते ऐसे होंगे जैसा कि निर्धारित किया जाए।

III. झारखंड के श्रम विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी माना जा सकेगा।

8. वेतन एवं भत्ते:-

I. बोर्ड के मनोनीत सदस्य बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए निर्धारित दरों पर भत्ते के हकदार होंगे।

9. लेखा एवं लेखा परीक्षा:-

I. बोर्ड उचित लेखा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा निर्धारित प्रारूप में बैलेंस शीट सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।

II. बोर्ड के लेखाओं का लेखा परीक्षा झारखंड के महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी।

III. लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित बोर्ड के लेखाओं को, उन पर लेखापरीक्षित रिपोर्ट के साथ, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष ऐसी तिथि से पहले भेजा जाएगा, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

IV. बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, जिन्हें राज्य सरकार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद जारी करना उचित समझे।

V. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा की लागत का भुगतान निधि से किया जाएगा।

VI. निधि का हिस्सा बनने वाली सभी धनराशियों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू या जमा खाते में रखा जाएगा या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा।

अध्याय: III

प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों और एग्रीगेटर्स का पंजीकरण

10. प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों का पंजीकरण:-

I. प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए पात्रता इस प्रकार होगी।

(क) कोई भी प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर जो झारखंड राज्य में कार्य निष्पादित या निष्पादित करता है, बोर्ड के डेटाबेस में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

(ख) कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता बोर्ड द्वारा निर्धारित कई कारकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह अंतिम नहीं है:-

I. लिंग (महिला और ट्रांसजेंडर श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधानों के साथ, यदि लागू हो)

II. अधिवास (झारखंड के निवासियों के लिए प्राथमिकता, सत्यापन के अधीन)

III. आयु (न्यूनतम और अधिकतम आयु-आधारित पात्रता मानदंड)

IV. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) स्थिति (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्राथमिकता पहुंच)

V. सक्रिय सहभागिता घंटे (पिछले छह महीनों में न्यूनतम कार्य घंटों की आवश्यकता)

VI. अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतक (जैसा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए)

(ग) प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों की आयु अठारह (18) वर्ष पूरी हो चुकी हो।

II. बोर्ड समय-समय पर एग्रीगेटर के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों की नियुक्ति का सत्यापन कर सकता है।

III. यह पंजीकरण एक (01) वर्ष के लिए वैध होगा।

IV. बोर्ड राज्य में प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों का डेटाबेस बनाए रखेगा, जिसमें एक या अधिक एग्रीगेटर्स के साथ उनके रोजगार का विवरण या, और, ऐप आधारित प्लेटफॉर्म के साथ नियुक्ति की अवधि या समय के बावजूद होगा।

V. बोर्ड इस अधिनियम की धारा 17 और उप-धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत गिग श्रमिक के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में ई-श्रम पोर्टल द्वारा उत्पन्न यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का लाभ उठाएगा।

11. एग्रीगेटर्स का पंजीकरण:-

I. राज्य में संचालित प्रत्येक एग्रीगेटर को इस अधिनियम के लागू होने के साठ दिनों के भीतर बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

II. बोर्ड राज्य में संचालित एग्रीगेटर्स का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें इस अधिनियम के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत एक अधिकारी का नाम और पदनाम होगा।

III. बोर्ड राज्य में संचालित प्रत्येक पंजीकृत एग्रीगेटर के लिए एक विशिष्ट आईडी पंजीकृत करेगा और प्रदान करेगा।

IV. बोर्ड अपने पोर्टल पर पंजीकृत एग्रीगेटर्स की सूची प्रकाशित करेगा। निजी जानकारी या कोई भी विवरण जो राज्य में एग्रीगेटर के कामकाज को बाधित कर सकता है, उसे गोपनीय रखा जाएगा।

V. एग्रीगेटर्स के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क इस अधिनियम के तहत तैयार किए गए नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

VI. बोर्ड एग्रीगेटर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया की देखरेख के लिए श्रम आयुक्त या अपर श्रम आयुक्त के पद से अन्यून एक पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करेगा। नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारी को अपनी शक्तियाँ सौंप सकता है।

अध्याय: IV
प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कोष और कल्याण अंशदान

12. प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स श्रमिकों के लिए कोष:-

I. राज्य सरकार पंजीकृत प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लाभ के लिए "झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष" नाम का एक कोष की स्थापना करेगी और निम्नलिखित धनराशि इसका हिस्सा बनेगी और इससें भुगतान किया जाएगा, अर्थात

(क) इस अधिनियम के तहत लगाए गए कल्याण अंशदान से प्राप्त सभी राशियाँ,

(ख) व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों द्वारा किए गए सभी योगदान,

(ग) राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त सभी राशियाँ,

(घ) अनुदान, उपहार, दान, उपकार, वसीयत या हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त सभी राशियाँ,

(ड़) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि से वित्त पोषित और

(च) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी राशियाँ जैसा कि निर्धारित किया जा सके।

II. कोष का प्रबंधन और व्यय निम्नलिखित के लिए किया जाएगा,

(क) इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अपने कार्य के निर्वहन में बोर्ड के व्यय,

(ख) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय,

(ग) राज्य सरकार द्वारा विहित तरीके से प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए कोई अन्य कल्याणकारी उपाय।

13. प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण अंशदान:-

I. एग्रीगेटर से "प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण अंशदान" के रूप में कल्याणकारी अंशदान लिया जाएगा, जो कि अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट एग्रीगेटर की श्रेणी में आने वाले प्रत्येक एग्रीगेटर द्वारा प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों को शामिल करने वाले परिचालनों से राज्य में अर्जित वार्षिक टर्नओवर (सकल राजस्व) के दो प्रतिशत से अधिक तक, परन्तु एक प्रतिशत से कम नहीं होगा।

स्पष्टीकरणः इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी एग्रीगेटर के वार्षिक कारोबार में राज्य सरकार को दिया गया या देय कोई कर, लेवी और उपकर शामिल नहीं होगा।

II. इस धारा के तहत एग्रीगेटर से अंशदान शुरू करने की तारीख राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

III. ऐसा अंशदान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय के भीतर एकत्र किया जाएगा।

IV. एग्रीगेटर प्रत्येक तिमाही के अंत में इस अधिनियम के तहत लगाए गए कल्याण अंशदान को जमा करेगा।

V. इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस), 2020 की धारा 141 के अनुसार, प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक कल्याण अंशदान का संग्रह सामाजिक सुरक्षा कोष में अंशदान के संग्रह के प्रारंभ होने पर बंद हो जाएगा।

बशर्ते कि समाप्ति से पहले प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक कल्याण अंशदान के तहत एकत्र की गई सभी धनराशि का उपयोग विशेष रूप से प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के लिए तैयार की गई कल्याणकारी योजनाओं और पहलों के लिए किया जाएगा, जो केंद्रीय कल्याण योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। दक्षता सुनिश्चित करने और अतिरेक से बचने के लिए केंद्र और राज्य प्रावधानों के बीच अतिव्यापी होने वाली कोई भी दोहराव वाली योजनाएं या पहल बंद कर दी जाएंगी।

14. केंद्रीय संचालन सूचना और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ट्रैकिंग औरनिगरानी:-

I. प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक स्तर पर एकत्र और खर्च किए गए कल्याण अंशदान का विवरण प्रकट किया जाएगा और केंद्रीय संचालन सूचना और प्रबंधन प्रणाली (सीटीआईएमएस) पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

II. सीटीआईएमएस एक पोर्टल या प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए विकसित पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

15. सामाजिक सुरक्षा पहल प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स के लिए कल्याण अंशदान में छूट:-

I. सामाजिक सुरक्षा लाभ या पहल प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स, जिन्हें बोर्ड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कल्याण योजनाओं के साथ संरेखित करने के लिए सत्यापित करता है, इस अधिनियम के तहत लगाए गए कल्याण अंशदान पर छूट के लिए पात्र हो सकते हैं।

II. बोर्ड उस वित्तीय वर्ष के लिए कल्याण अंशदान के 50% तक की अधिकतम छूट के साथ, प्रदान किए गए लाभों या पहलों की सीमा और प्रभावशीलता के आधार पर दी गई छूट का प्रतिशत निर्धारित करेगा।

III. छूट चाहने वाले एग्रीगेटर्स समीक्षा के लिए बोर्ड को ऐसी पहलों के कार्यान्वयन पर प्रासंगिक दस्तावेज और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

IV. बोर्ड यह मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश और मानदंड स्थापित करेगा कि क्या सामाजिक सुरक्षा पहल छूट के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करती है, राज्य कल्याण योजनाओं के उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करती है।

V. बोर्ड पहलों का अंकेक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि एग्रीगेटर आवश्यक मानकों का अनुपालन करने में विफल रहता है या पहल बंद कर दी जाती है तो छूट रद्द किया जा सकता है।

अध्याय-V

प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के अधिकार

16. प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के अधिकार:-

प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे और यह अधिनियम प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों को किसी अन्य अधिनियम के तहत दिए जाने वाले किसी भी लाभ या सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेगा।

I. **लाभ प्राप्त करने का अधिकार-**

(क) राज्य सरकार के साथ निबंधित होना चाहिए, बशर्ते कि प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक एक एग्रीगेटर के साथ शामिल या पंजीकृत हो और इस अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 1 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो, राज्य सरकार के अनुसार निबंधन पर लागू एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाए, और

(ख) राज्य सरकार के अनुसार निबंधन पर लागू एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जानी चाहिए और

(ग) किसी भी शिकायत के लिए सुनवाई का अवसर और कार्य की अवधि के बावजूद अधिनियम के अध्याय VII में निर्दिष्ट उचित शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच होगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उनके कल्याण के लिए लिए गए सभी निर्णयों में भाग ले सकेगा।

(ङ) बोर्ड द्वारा अधिसूचित सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच हो सकता है।

II. **उचित वेतन प्राप्त करने का अधिकार-**

(क) प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को वेतन के वितरण में विलंब किए बिना कम से कम साप्ताहिक आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(ख) प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक के हकदार होंगे, जो धारा 6 की उप-धारा 1 (प) में बताए अनुसार किए गए प्रत्येक कार्य के लिए खर्च किए गए समय और यात्रा की गई दूरी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ऐसा पारिश्रमिक यह सुनिश्चित करेगा कि गिग श्रमिकों को उनके कर्तव्यों के निष्पादन में निवेश किए गए समय और प्रयास के अनुरूप उचित आधारभूत मुआवजा मिले।

(ग) भुगतान कटौती के मामलों में, प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को गिग श्रमिक द्वारा किए गए कार्य के लिए उठाए गए चालान में ऐसी कटौती के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

(घ) प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गिग श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक की विधि और गणना पारदर्शी हो। अनुरोध करने पर, प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक को पारिश्रमिक का विस्तृत ब्यौरा, जिसमें यह भी शामिल होगा कि इसकी गणना कैसे की गई, एक स्पष्ट और समझने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराएगा।

III. **व्यावसायिक रूप से सुरक्षित परिस्थितियों में काम करने का अधिकार-**

(क) एग्रीगेटर को, जहाँ तक संभव हो, एक ऐसा कार्य वातावरण प्रदान और बनाए रखना चाहिए जो सुरक्षित हो और गिग वर्कर के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो।

(ख) एग्रीगेटर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लागू, क्षेत्र-विशिष्ट, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करेगा।

IV. **निष्पक्ष अनुबंध करने का अधिकार-**

(क) एग्रीगेटर और गिग श्रमिक के बीच हुए सभी अनुबंध इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

(ख) सभी रोजगार अनुबंधों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:-

I. कार्य सौंपने और कार्य समय और कार्य स्थितियों से संबंधित निर्णय लेने का तरीका,

II. श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच निर्बाध संचार,

III. नियोक्ता की लागत पर दुर्घटना बीमा का प्रावधान,

IV. प्रशिक्षण प्रदान करने का तरीका और

V. वह तरीका जिससे कोई कर्मचारी अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(ग) अनुबंध सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए जो आसानी से समझ में आ सकें और हिंदी तथा अंग्रेजी में उपलब्ध होने चाहिए। यदि गिग श्रमिक द्वारा अनुरोध किया जाता है तब अनुबंध को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य ज्ञात भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) एक बार अनुबंध हो जाने के बाद, प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक को प्रस्तावित परिवर्तन से कम से कम सात दिन पहले अनुबंध की शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, और गिग श्रमिक के पास पिछले अनुबंध के तहत उनके मौजूदा अधिकारों के लिए किसी भी प्रतिकूल परिणाम के बिना अनुबंध को तदनुसार समाप्त करने का विकल्प होगा।

(ङ) गिग श्रमिक प्रति सप्ताह गिग कार्य अनुरोधों की एक निर्दिष्ट संख्या को उचित कारण के साथ अस्वीकार या रद्द कर सकते हैं, जैसा कि गिग श्रमिक और एग्रीगेटर के बीच अनुबंधात्मक समझौते में किसी भी प्रतिकूल परिणाम के बिना प्रदान किया जाएगा।

V. **शिकायत निवारण और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व का अधिकार-**

(क) एग्रीगेटर को गिग श्रमिक को सरल भाषा में और हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य भाषा में, जो गिग श्रमिक को ज्ञात हो, एग्रीगेटर द्वारा नियोजितों को आवेदन प्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित करना चाहिए, जिससे किराया, आय, ग्राहक प्रतिक्रिया और संबद्ध जानकारी सहित उनकी कार्य स्थितियों पर प्रभाव पड़ता हो।

(ख) प्रत्येक गिग वर्कर को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी स्पष्टीकरणों के लिए एक मानव संपर्क बिंदु प्रदान किया जाना चाहिए।

बशर्ते कि:-

(i) संपर्क का मानव बिंदु कई संचार चैनलों के माध्यम से गिग श्रमिकों के लिए आसानी से पहुंच योग्य होगा, जिसमें फोन समर्थन, ईमेल और इन-ऐप सहायता शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(ii) व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए भौतिक स्थान बनाए रखने वाले एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि ये स्थान सुविधाजनक रूप से पहुंच योग्य हों, प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में स्थित हों और मानक कार्य घंटों के दौरान खुले हों।

(iii) श्रमिक सहायता के लिए संपर्क जानकारी, हेल्पलाइन विवरण सहित, एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए, और गिग श्रमिक द्वारा पसंदीदा स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ग) श्रमिक के पास हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य भाषा में संपर्क बिंदु से संवाद करने का विकल्प होगा, जो गिग श्रमिक को ज्ञात हो।

(घ) संपर्क बिंदु के संपर्क सूचना प्लेटफॉर्म आधारित खाते में संबंधित गिग श्रमिक को प्रदान की जाएगी।

(ङ) श्रमिक के पास अध्याय टप्प् में निर्दिष्ट शिकायत निवारण तंत्र तक पहुँच होगी।

VI. **परामर्श लेने का अधिकार-**

(क) प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक अनुबंधों, काम की शर्तों या किसी अन्य पैरामीटर पर बोर्ड से परामर्श ले सकता है, जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, काम के आवंटन, काम के वितरण, किए गए काम का मूल्यांकन, उनके वेतन, रेटिंग, एग्रीगेटर के पास उपलब्ध संबंधित गिग श्रमिक के व्यक्तिगत डेटा और श्रमिक से संबंधित किसी भी अन्य डेटा को निर्धारित करता है।

(ख) ऐसे मामले में जब किसी गिग श्रमिक को बिना किसी वैध कारण और/या सात (07) दिनों के नोटिस के बिना समाप्त कर दिया जाता है, तो वे एग्रीगेटर के साथ अपनी नियुक्ति को फिर से बहाल करने और इस समाप्ति के किसी भी अनुचित परिणाम को सुधारने के लिए बोर्ड से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

(ग) हालांकि, एग्रीगेटर किसी गिग श्रमिक को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि अंतिम उपभोक्ता को कोई खतरा (शारीरिक, मानसिक या कोई अन्य) होने का अनुमान है। गिग श्रमिक द्वारा बोर्ड के समक्ष इसका विरोध किया जा सकता है।

VII. **प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार-**

(क) एग्रीगेटर को संबंधित गिग श्रमिक के बारे में निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में, हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य भाषा में, जिसे गिग श्रमिक जानता हो, उनके द्वारा मांगे जाने पर संप्रेषित करना होगा।

(i) मुख्य पैरामीटर जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक की आय, कार्य का आवंटन, कार्य का वितरण, किए गए कार्य का मूल्यांकन और कार्य से इनकार करने के आधार निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं,

(ii) एग्रीगेटर द्वारा स्थापित रेटिंग प्रणाली, यदि कोई हो,

(iii) प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, लॉग-इन समय या किसी अन्य मानदंड के आधार पर गिग श्रमिकों का वर्गीकरण, जहां ऐसा वर्गीकरण एग्रीगेटर द्वारा नियोजित किया जाता हो।

(iv) एग्रीगेटर के पास उपलब्ध संबंधित गिग श्रमिक का व्यक्तिगत डेटा, ऐसा व्यक्तिगत डेटा जिसे एग्रीगेटर द्वारा संधारित किया जाता है, जिसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संधारित किया जाता है,

(v) कोई अन्य जानकारी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

(ख) एग्रीगेटर को गिग वर्कर को सरल भाषा में और हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य भाषा में एग्रीगेटर द्वारा नियोजित एप्लिकेशन प्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित करना चाहिए, जिसका किराया, आय, ग्राहक प्रतिक्रिया और संबद्ध जानकारी सहित उनकी कार्य स्थितियों पर प्रभाव पड़ता हो।

बशर्ते कि इस अधिनियम की कोई भी बात वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्करों को दिए गए किसी लाभ या संरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

अध्याय: VI

एग्रीगेटर्स की जिम्मेदारी

17. एग्रीगेटर्स की जिम्मेदारियाँ -

I. एग्रीगेटर अपने द्वारा नियोजित स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाली प्रणालियों द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए उपाय करेगा।

II. एग्रीगेटर्स को प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को कम से कम साप्ताहिक आधार पर मुआवजा देना होगा, ताकि भुगतान वितरण में कोई देरी न हो।

III. एग्रीगेटर्स को गिग श्रमिक द्वारा किए गए काम के लिए चालान के भीतर कारणों को निर्दिष्ट करने सहित किसी भी भुगतान कटौती के बारे में बताना और उसका औचित्य साबित करना होगा।

IV. एग्रीगेटर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि गिग श्रमिकों को इस अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा 1 में बताए गए उल्लेखित बोर्ड द्वारा निर्धारित मेट्रिक्स के अनुसार, प्रति कार्य खर्च किए गए समय और यात्रा की गई दूरी के आधार पर न्यूनतम पारिश्रमिक मिले।

V. एग्रीगेटर्स को ई-श्रम पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करना होगा।

VI. एग्रीगेटर्स यह सत्यापित करेंगे कि कोई श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर शामिल होने से पहले पंजीकृत है या नहीं। यदि कोई श्रमिक पंजीकृत नहीं है, तो एग्रीगेटर उनके पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

VII. एग्रीगेटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-श्रम के माध्यम से उत्पन्न प्रत्येक गिग श्रमिक का यूएएन उनके सिस्टम में दर्ज किया जाए और ट्रैकिंग और सत्यापन उद्देश्यों के लिए झारखंड प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ साझा किया जाए।

VIII. एग्रीगेटर्स को इस अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा 5 में बताए गए उचित अनुबंधों के संबंध में कर्तव्यों का पालन और अनुपालन करना होगा।

IX. एग्रीगेटर को गिग श्रमिक को सरल भाषा में तथा हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य भाषा में, जिसे गिग श्रमिक ज्ञात हो, एग्रीगेटर द्वारा नियोजित एप्लीकेशन सिस्टम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित करना होगा, जिसका किराया, आय, ग्राहक प्रतिक्रिया और संबद्ध जानकारी सहित उनकी कार्य स्थितियों पर प्रभाव पड़ता हो।

X. एग्रीगेटर को इस अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित सभी स्पष्टीकरणों के लिए गिग श्रमिकों को एक मानव संपर्क बिंदु प्रदान करना होगा और अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा 6 के खंड (बी) में निर्दिष्ट अनुसार व्यक्तिगत पूछताछ के लिए भौतिक स्थान भी बनाए रखना होगा।

XI. एग्रीगेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि नामित मानव संपर्क बिंदु की संपर्क जानकारी गिग श्रमिक को उनके प्लेटफॉर्म खाते के माध्यम से उपलब्ध हो।

XII. एग्रीगेटर को धारा 16 की उपधारा-17 में बताए अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के प्रसार से संबंधित कर्तव्यों का पालन और पालन करना होगा।

XIII. एग्रीगेटर और गिग वर्कर के बीच किए गए संविदात्मक समझौते में एग्रीगेटर द्वारा अनुबंध की समाप्ति या प्लेटफॉर्म से गिग श्रमिक को निष्क्रिय करने के आधारों की एक विस्तृत सूची शामिल होगी।

XIV. एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम में शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी उनके प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध हो।

XV. एग्रीगेटर्स को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा धारा 6 के उपधारा 1 (एच) में निर्धारित नियमित अंतराल पर आधार किराया, उछाल मूल्य निर्धारण प्रणाली सेवा शुल्क और उपभोक्ताओं पर लगाए गए किसी भी अन्य शुल्क सहित विस्तृत मूल्य निर्धारण डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

XVI. एग्रीगेटर किसी गिग श्रमिक को केवल लिखित में वैध कारणध्कारण बताकर और सात (07) दिन की पूर्व सूचना देकर ही नौकरी से निकाल सकता है। हालाँकि, अगर अंतिम उपभोक्ता को कोई खतरा (शारीरिक या मानसिक) होने का अंदेशा है, तो गिग श्रमिक को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाला जा सकता है।

अध्याय VII

शिकायतें, अपील और कल्याणकारी अंशदान की वसूली

18. टोल फ्री कॉल सेंटर या हेल्पलाइन:-

I. राज्य सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे जाने पर निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कार्य करने के लिए टोल-फ्री कॉल सेंटर या हेल्पलाइन स्थापित कर सकती है, अर्थात,

(क) प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्रसारित करना,

(ख) प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भरने, संसाधित करने और अग्रेषित करने में सुविधा प्रदान करना,

(ग) पोर्टल पर प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों द्वारा उठाई गई शिकायतों के निवारण में सहायता करना,

(घ) प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता करना, और

(ङ) पंजीकृत प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन में सुविधा प्रदान करना।

19. प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र:-

I. इस अधिनियम के तहत निबंधित प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक राज्य सरकार द्वारा शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पोर्टल के माध्यम से या अधिनियम के तहत प्रदान की गई पात्रता, भुगतान और अन्य लाभों से उत्पन्न किसी भी शिकायत के संबंध में टोल-फ्री कॉल सेंटर या हेल्पलाइन के माध्यम से याचिका दायर किया जा सकता है/शिकायत संप्रेषित कर सकता है,

बशर्ते कि इस अधिनियम के तहत निबंधित प्रत्येक एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पर ऐसे पोर्टल का लिंक प्रदान किया जाएगा

II. इस धारा की उप-धारा (1) के तहत दायर याचिका के निपटान की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा विहित किया जाए।

III. इस धारा की उप-धारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी, जांच के बाद, निवारण का आदेश पारित करके उक्त याचिका का निपटान करेगा और उचित मुआवजे के भुगतान के लिए एग्रीगेटर को निर्देश भी जारी कर सकेगा।

IV. इस धारा की उपधारा (3) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश की तिथि से नब्बे दिन के भीतर की जा सकेगी।

बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी उक्त नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से संरक्षित होता है।

V. अपीलीय प्राधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार अपील का निपटारा करेगा।

VI. अपीलीय प्राधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी या आंतरिक विवाद समाधान समिति, जैसा भी मामला हो, के निर्णय की समीक्षा करने, उसे कायम रखने या उसे पलटने की शक्ति होगी।

20. **आंतरिक विवाद समाधान समिति:-**

I. प्रत्येक एग्रीगेटर, जिसके प्लेटफॉर्म पर 50 से अधिक प्लेटफॉर्म कर्मचारी पंजीकृत हैं, अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए एक आंतरिक विवाद समाधान समिति का गठन करेगा।

II. आंतरिक विवाद समाधान समिति की संरचना और प्रक्रियाएँ राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएँगी।

III. आंतरिक विवाद समाधान समिति किसी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या पोर्टल के माध्यम से दायर याचिका की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपनी कार्यवाही पूरी करेगी या पीड़ित पक्ष द्वारा या उसकी ओर से टोल-फ्री कॉल सेंटर या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत संप्रेषित करेगी।

IV. यदि कोई भी पक्ष आंतरिक विवाद समाधान समिति के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वे धारा 19 की उप-धारा 4 के तहत अधिसूचित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

बशर्ते कि कोई भी पक्ष विवाद को आपस में सुलझाने के लिए मध्यस्थता की प्रक्रिया अपना सकता है।

अध्याय- VIII

अपराध और दंड

21. अपराधों के लिए सामान्य दंड:-

I. इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधानों के सिवाय, यदि किसी एग्रीगेटर में या उसके संबंध में इस अधिनियम या विनियमों या नियमों या इसके अधीन बनाए गए मानकों में से किसी का या इस अधिनियम या ऐसे विनियमों या नियमों या मानकों के अधीन लिखित रूप में दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन होता है, तो एग्रीगेटर पचास हजार रुपए से कम के दंड का भागी नहीं होगा।

II. यदि दोषसिद्धि के पश्चात उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त दंड के साथ, जो उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक हो सकता है।

22. कंपनियों द्वारा अपराध:-

I. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध एग्रीगेटर और उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा किया गया है, वहां एग्रीगेटर को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार दंडित किया जा सकेगा।

II. उप-धारा 1 में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और तदनुसार दंडित किया जा सकता है।

23. अपराधों का संज्ञान:-

I. किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से अन्यून कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

24. अपराधों का शमन:-

I. इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का शमन, अभियोजन की संस्थिती से पहले या बाद में, कथित अपराधी द्वारा आवेदन करने पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा पचास प्रतिशत से अधिक शमन राशि का भुगतान करके किया जा सकता है, जिसे राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

बशर्ते कि समुचित सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त निर्दिष्ट शमन राशि में संशोधन कर सकती है।

इसके अलावा एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक बार किए गए एक ही प्रकृति के अपराध शमनीय नहीं होंगे।

इसके अलावाऐसे अपराधों का शमन तभी किया जाएगा, जब कथित अपराधी ने ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संतुष्ट किया हो कि ऐसा अपराध आगे जारी नहीं रहेगा।

II. जहां किसी अपराध का उप-धारा 1 के तहत शमन किया गया है, ऐसे अपराधों के संबंध में अपराधी के खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

25. विशिष्ट अपराध और दंड:-

I. अधिनियम के तहत किए गए निम्नलिखित किसी भी अपराध के लिए एग्रीगेटर को कम से कम दस हजार रुपये और अधिकतम दो लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। लगातार अपराध के मामले में, प्रतिदिन दस हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना

अधिकतम दस लाख रूपये तक लगाया जा सकता है। जिन अपराधों के लिए ये दंड लागू होते हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं होना,

(ख) गिग श्रमिक को अनुबंध प्रदान करने में विफल होना,

(ग) अनुबंध की शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में गिग श्रमिक को सूचित करने में विफल होना,

(घ) स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाली प्रणालियों के बारे में गिग श्रमिक द्वारा मांगी गई जानकारी को संप्रेषित करने में विफल होना,

(ङ) स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाली प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में गिग श्रमिक को सूचित करने में विफल होना,

(च) अनुबंध में उल्लिखित नहीं किए गए आधारों पर काम को समाप्त करना, उल्लंघन करना,

(छ) समय पर गिग श्रमिक को मुआवजा देने में विफल होना,

(ज) पारिश्रमिक में कटौती के लिए कारण बताने में विफल होना,

(झ) बिना कार-पृच्छा दिए काम समाप्त करना, उल्लंघन करना,

(ञ) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन करने में विफल रहना,

(ट) आवश्यकतानुसार संपर्क बिंदु को नामित करने में विफल रहना

(ठ) आवश्यकतानुसार विवाद समाधान समिति की नियुक्ति करने में विफल रहना,

(ड) मूल्य निर्धारण डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता या निषिद्ध अंतर मूल्य निर्धारण प्रथाओं में संलग्न होना।

अध्याय- IX

विविध

26. वार्षिक रिपोर्ट:-

I. बोर्ड प्रत्येक वर्ष इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

II. राज्य सरकार अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र उसे राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखवाएगी।

27. अधिनियम का किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होना:-

I. इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे, तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे, सिवाय इसके कि अन्य कानूनों के प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत हों।

28. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण:-

I. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने वाली किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

II. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए या जारी किए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए संशोधित किसी बात से हुई या होने वाली किसी क्षति के लिए सरकार, इस अधिनियम के अधीन गठित किसी बोर्ड या समिति या ऐसे बोर्ड के किसी सदस्य या सरकार या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार या किसी बोर्ड या समिति द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

29. विनियम बनाने की शक्ति:-

I. बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

30. नियम बनाने की शक्ति:-

I. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

II. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम चैदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो क्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र की, जिसमें वह रखा गया हो, या उसके ठीक बाद के सत्रों की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधानमंडल का सदन नियम में कोई परिवर्तन करता है या संकल्प करता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। तथापि, ऐसा कोई भी परिवर्तन या निरस्तीकरण उसके अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

III. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

31. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति:-

I. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एग्रीगेटर्स द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा को अनुसूची में शामिल कर सकती है और जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना आवश्यक समझती है और राजपत्र में प्रकाशन के बाद अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया गया माना जाएगा।

32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

I. यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकते हैं।

बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं जारी किया जाएगा।

II. इस धारा के तहत किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची- I

एग्रीगेटर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:-

(क) राइड शेयरिंग सेवाएँ।

(ख) खाद्य और किराना डिलीवरी सेवाएँ।

(ग) लॉजिस्टिक्स सेवाएँ।

(घ) माल और, या सेवाओं की थोक, खुदरा बिक्री के लिए ई-मार्केट प्लेस (मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री मॉडल दोनों) बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर (बी2बी/बी2सी)।

(ङ) पेशेवर सेवा प्रदाता।

(च) स्वास्थ्य सेवा।

(छ) यात्रा और आतिथ्य।

(ज) सामग्री और मीडिया सेवाएँ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव),
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2025

संख्या-एल0जी0-03/2025-58/लेज0--झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-13/12/2025 को अनुमत **झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) अधिनियम, 2025** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE JHARKHAND PLATFORM-BASED GIG WORKERS (REGISTRATION AND WELFARE) ACT, 2025

(**Jharkhand Act- 13, 2025**)

An Act to safeguard platform-based gig workers' rights and impose responsibilities on platforms concerning social security, occupational health and safety, transparency in automated systems, and dispute resolution. Also, to establish a Welfare Board and a Welfare Fund for platform-based gig workers, register them and the platforms within the State and address related matters.

Be it enacted by the Jharkhand State Legislature in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India, as follows:

CHAPTER : I
Preliminary

This Act may be called the Jharkhand Platform-Based Gig Workers (Registration and Welfare) Act, 2025.

It extends to the whole of the State of Jharkhand.

It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that the provisions of the Act shall be deemed to have commenced on the one hundred and twentieth day from the date of enactment, or on the date of notification, whichever is earlier.

It applies to

(a) an aggregator operating in the State of Jharkhand.

(b) an aggregator providing any one or more services specified in the Schedule.

(c) any service or work being carried out in the state of Jharkhand, and any service or work being carried out that meets with the definition of gig worker, aggregator, and platform as defined respectively under section 2 (b), (e), and (i) of the Act.

1. In this Act, unless the context otherwise requires.

(a) **"Automated monitoring and decision-making systems"** means systems which are used for or which support monitoring, supervising or evaluating, by electronic means, the work performance of persons performing platform work, or the activities carried out within the work environment, including by collecting personal data;

(b) **"Gig Worker"** means a person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of the traditional employer-employee relationship and who works on a contract that results in a given rate of payment, based on terms and conditions laid down in such contract and includes all piece-rate work;

(c) **"Remuneration"** means the total amount paid to a platform-based gig worker by the aggregator in exchange for the work performed. This includes base pay, bonuses, incentives, deductions (if any), and other compensation for services rendered.

(d) **"Minimum remuneration"** means the minimum payment a platform-based gig worker is entitled to receive, calculated based on the time spent and distance travelled for each task performed. This ensures that gig workers are fairly compensated for both the duration of their engagement and the effort required to complete tasks.

(e) **"Aggregator"** means a digital intermediary for a buyer or user of a service to connect with the seller or the service provider, and includes any entity that coordinates with one or more aggregators for providing the services, or permits platforms to interoperate among themselves;

(f) **"Board"** means the Jharkhand Platform-Based Gig Workers Welfare Board constituted under section 3.

(g) **"Fund"** means the Jharkhand Platform-Based Gig Workers Social Security and Welfare Fund established under section 12 of the Act;

(h) **"Appellate Authority"** means the nominated officer to be notified by the state government.

(i) **"Platform"** means an online transaction-based arrangement of work which meets all of the following requirements:

i. it is provided, at least in part, at a distance by electronic means, such as utilizing a website or a mobile application;

ii. it is provided at the request of a recipient of the service;

iii. it involves, as a necessary component, the organization of work performed by individuals in return for payment, irrespective of whether that work is performed online or in a certain location;

iv. it involves the use of automated monitoring and decision-making systems;

(j) **"Platform-based gig worker"** means a gig worker whose work is sourced through a platform, in the sectors specified in the Schedule to this Act;

(k) **"Prescribed"** means prescribed by rules made under this Act;

(l) **"Regulations"** means the regulations made by the Board under this Act;

(m) **"Rules"** means the rules made under this Act;

(n) **"State Government"** means the Government of Jharkhand;

(o) **"Unique ID"** means the unique number issued to platform-based gig workers registered as per sub-section (5) of section 10 of this Act;

(p) **"Welfare Contribution"** means the contribution imposed under section 13 of this Act;

(q) **"Notification"** means a notification published in the Official Gazette of a State, as the case may be, and the expression "notify" with its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;

(r) **"Grievance redressal officer"** means the authority notified by the State Government under sub-section (1) of section 19;

(s) **"Terminate"** or **"Termination"** means materially restricting a gig workers' access to the digital platform, including blocking a gig workers' access to the digital platform, suspending a gig worker, or making the gig worker permanently or temporarily ineligible to provide services on the digital platform.

CHAPTER : II
Platform-Based Gig Workers Welfare Board

The State Government shall, with effect from such date as it may appoint, constitute a Board to be known as the Jharkhand Platform-Based Gig Workers Welfare Board to exercise the powers conferred on, and perform the functions assigned to it, under this Act.

The State Government may, as and when necessary, notify general or sector-specific social security and other benefits that shall be implemented by the Board.

The headquarters of the Board shall be at Ranchi, Jharkhand.

The Board shall consist of-

(i)	the Minister in-charge of the Department of Labour, Jharkhand	Ex-officio Chairperson;
(ii)	the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary in-charge, Department of Labour, Employment, Training and Skill Development, or their nominee	Ex-officio Member- Secretary;
(iii)	the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary in-charge, Department of Industries, or their nominee	Ex-officio Member;
(iv)	the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary in-charge, Department of Transport, or their nominee	Ex-officio Member;
(v)	the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary in-charge, Department of Finance, or their nominee	Ex-officio Member;
(vi)	three representatives from Civil Society (including trade unions or any other persons with experience in relevant fields) to be nominated by the State Government	Members:
(vii)	A technical or functional expert in the field of data collection and IT systems, policy, etc, may be invited as and when necessary to provide inputs	Members:

Provided that the State Government shall ensure that the nominated members of the Board include at least one-third women.

The nominated members of the Board shall have a term of three years.

Provided that the State Government may extend their tenure for another one year if it deems appropriate.

In the event of any vacancy occurring on account of death, resignation, disqualification or removal under sub-section (6) of this section 4 of the Act, such vacancy shall be filled by the State Government by fresh nomination for the remaining term.

Any nominated member of the Board may at any time resign from his/her office by writing under his/her hand addressed to the Chairperson, and his/her office shall, on acceptance of resignation, become vacant.

No person shall be chosen as, or continue to be, a nominated member of the Board who-

(a) is a salaried officer or an employee of the Board; or
(b) is or at any time has been adjudged insolvent; or
(c) is found to be a lunatic or becomes of unsound mind; or
(d) is or has been convicted of any offence involving moral turpitude.

The State Government may remove from office any nominated member, who is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in Sub-Section 3 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings of the Board.

The Board shall meet at such time and place and observe such rules of procedure for transaction of business at its meetings as may be prescribed by regulations

The Board shall meet at least once in six months:

Provided further that the Chairperson may convene an additional meeting(s) of the Board upon a written request from at least six members of the Board.

The Chairperson, or, if for any reason they are unable to attend any meeting of the Board, any other member authorized by him, shall preside over the meeting.

All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in their absence, the person presiding, shall have a second or a casting vote.

The Quorum for the meeting of the Board shall be fifty per cent of the total members.

The powers, duties and functions of the Board shall be as follows: -

(a) ensure registration of gig workers in accordance with the provisions under this Act and allied rules;
(b) ensure registration of aggregators operating in the State in accordance with the provisions under this Act and allied rules;
(c) set up a monitoring mechanism to review compliance of provisions of this Act and to certify that welfare contribution is being duly deducted;
(d) coordinate and communicate with the Department of Commercial Taxes, Government of Jharkhand, for information regarding the gross revenue and any other financial details related to the aggregators operating in the State, for ensuring compliance as per sub-section (e) of this section,
(e) coordinate and communicate with any other relevant Departments for any administering and for ensuring compliance as per the Act,
(f) the Board shall, from time to time, prescribe the criteria and metrics for determining the minimum remuneration to be paid to platform-based gig workers, based on time expended,which is inclusive of waiting time and distance travelled for each task performed. The Board shall review and revise such metrics periodically to ensure fairness and adequacy in light of prevailing industry practices and economic conditions.
(g) formulate and notify suitable welfare schemes for social security of registered platform-based gig workers from time to time,

(h) the Board shall have the authority to evaluate, approve, and monitor applications for welfare contribution exemptions submitted by aggregators, as prescribed under section 15 of the Act, in accordance with the rules and guidelines formulated thereunder.

(i) The Board shall ensure that the Aggregators shall not engage in differential pricing practices to compensate for the imposed welfare contribution, ensuring that the cost is not passed directly or indirectly to consumers or gig workers.

(j) The Jharkhand Platform-Based Gig Workers Welfare Board shall periodically monitor the pricing trends of aggregators before and after the implementation of the welfare contribution to ensure that the cost is not being transferred to consumers through differential pricing or disguised surcharges.

(k) The Board shall have the authority to conduct audits, seek explanations from aggregators on price fluctuations, and take necessary corrective actions if instances of cost transfer are identified.

(l) the Board shall maintain transparency by documenting exemptions granted and providing an annual report on their impact,

(m) ensure implementation, administration, and monitoring of general and specific social security schemes based on contributions made as may be notified by the State Government and disburse the social security benefits through the individual social security accounts linked to the Unique IDs allocated to gig workers,

(n) ensure rights of platform-based gig workers, under this Act, are protected;

(o) engage with registered unions working with platform-based gig workers or with the platform-based gig workers directly and hold regular open consultations with them;

(p) nominate persons or officers who would be competent to act on behalf of any registered platform-based gig worker to initiate action for making any claim under any law or rules made thereunder or award or settlement made under any such law and appear on behalf of the registered platform-based gig worker in such proceedings;

(q) the Board shall designate an officer to assess the welfare contributions paid by the aggregator to the fund and submit a report on the same to the Board.

(r) transfer all monetary benefits accrued to the platform-based gig workers through Direct Benefit Transfer (DBT);

(s) set up toll-free call centres, facilitation centres, or any such mechanisms to simplify access to the schemes or any function as deemed appropriate,

(t) constitute a committee for formulating, their review and implementation of schemes,

Provided that the committee shall search for convergence with social security schemes of Government both Central and State so that optimum use can be made of social security contributions as well as maximum benefit possible be accrued to the platform-based gig workers.

The schemes formulated and notified under the provision of this act shall be related to –

(a) accidental insurance, immediate assistance in case of accident, medical emergencies and health insurance, or other health and maternity benefits,

(b) loans,

(c) education schemes for children of and platform-based gig workers,

(d) skill upgradation of workers,

(e) funeral assistance,

(f) old age protection, and

(g) any other benefit as may be determined by the State Government.

Every scheme notified by the State Government shall provide for such matters that are necessary for the efficient implementation of the scheme including the matters relating to –

(a) scope of the scheme;
(b) beneficiaries of the scheme;
(c) resources of the scheme;
(d) agency or agencies that will implement the scheme;
(e) redressal of grievances; and
(f) any other relevant matter.

The Board shall appoint such officers and employees as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

The terms and conditions of appointment and the salary and allowances payable to the officers and employees of the Board shall be such as may be prescribed.

The officers and employees working with the Labour Department of Jharkhand may be considered to be officers and employees of the Gig Workers Welfare Board for the efficient discharge of its functions under the Act.

The nominated members of the Board shall be entitled for allowances for attending the meetings of the Board, at such rates as may be prescribed.

The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, including a balance-sheet in such form as may be prescribed.

The accounts of the Board shall be audited annually by the office of the Accountant General of Jharkhand.

The accounts of the Board certified by the auditor, together with the audited report thereon shall be forwarded annually to the State Government before such date as the State Government may specify in this behalf.

The Board shall comply with such directions as the State Government may, after perusal of the report of the auditor, think fit to issue.

The cost of audit, as determined by the State Government, shall be paid out of the Fund.

All moneys forming part of the Fund shall be kept in current or deposit account with the State Bank of India (SBI) or in any Nationalized Bank or invested in securities by the Board with prior approval of the State Government.

CHAPTER : III
Registration of Platform-Based Gig Workers and Aggregators

Eligibility for Registration with the Platform-Based Gig Workers Welfare Board shall be as follows:

(a) Any Platform-Based Gig Worker who executes or performs work in the State of Jharkhand shall be eligible for inclusion in the Board's database.

(b) Eligibility for welfare schemes shall be determined based on multiple factors as prescribed by the Board, which may include but are not limited to:

i. Gender (with special provisions for female and transgender workers, if applicable)
ii. Domicile (priority for Jharkhand residents, subject to verification)
iii. Age (minimum and maximum age-based eligibility criteria)
iv. Below Poverty Line (BPL) Status (priority access for economically weaker sections)
v. Active Engagement Hours (minimum work hours requirement over the last six months)

vi. Other Socio-Economic Indicators (as deemed necessary by the Board)

(c) The platform-based gig workers shall have completed eighteen (18) years of age.

The Board may verify the engagement of platform-based gig workers from time to time either through the aggregator, or any other means deemed fit.

The registration shall be valid for one (01) year.

The Board shall maintain a database of platform-based gig workers in the State along with the details of their employment with one or more aggregators or/and notwithstanding the duration or time of engagement with app-based platforms.

The Board shall leverage the Universal Account Number (UAN) generated by the e-Shram portal as the unique identifier for each registered gig worker, in accordance with Section 17 and Sub-section 7 of this Act.ion of Aggregators :-

Every aggregator operating within the State shall mandatorily register with the Board within ninety (90) days from the date of enforcement of this Act. Further, every aggregator shall onboard itself onto the e-Shram aggregator module within the said period and shall adhere to all registration, compliance, and reporting obligations as prescribed under this Act and the applicable rules framed thereunder.

The Board shall maintain a register of aggregators operating in the State along with the name and designation of an officer authorized by the Board responsible for carrying out obligations under this Act.

The Board shall register and generate a unique ID for every registered aggregator operating in the State.

The Board shall publish the list of registered aggregators on its portal. Private information or any details which might disrupt the working of the aggregator in the State shall be kept confidential.

The registration and renewal fee for aggregators may be prescribed by the Board in accordance with the rules and guidelines formulated under this Act.

The Board shall appoint a Registration Officer, not below the rank of Labour Commissioner or Additional Labour Commissioner, to oversee the registration and renewal process for aggregators. The appointed officer may delegate his/her powers to a subordinate officer as necessary for the effective implementation of this Act.

CHAPTER : IV
Platform-Based Gig Workers Fund and Welfare Contribution

The State Government shall establish a fund to be called “The Jharkhand Platform Based Gig Workers Social Security and Welfare Fund” for the benefit of registered platform-based gig workers and the following money shall form part of, and be paid into, namely:

(a) all sums received from welfare contribution imposed under this act;
(b) all contributions made by individual platform-based gig workers;
(c) all sums received as grant-in-aid from the State Government and Central Government;
(d) all sums received by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers;
(e) funded from corporate social responsibility fund within the meaning of Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
(f) all sums received from any other sources as may be prescribed.

The Fund shall be administered and expended for the following :-

(a) Expenses of the board in the discharge of its function as per section 6 of this Act,
(b) Expenses on objects and purposes authorized by this Act,
(c) Any other welfare measures for the platform-based gig workers in such manner as may be prescribed by the State Government.

There shall be charged, from an aggregator a welfare contribution known as "The Platform-Based Gig Workers Welfare Contribution", which shall be at such rate not exceeding two percent, but not less than one percent, of the annual turnover (gross revenue) earned in the State from operations where platform-based gig workers are involved by every such aggregator who falls within a category of aggregators, as specified in sub-section (4) of section 1 of the Act.

Explanation- For the purposes of this sub-section, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and cess paid or payable to the State Government.

The date of commencement of contribution from aggregator under this section shall be notified by the State Government.

Such contribution shall be collected by the State Government in such manner and within such time as may be prescribed.

The aggregator shall deposit the welfare contribution imposed under this Act, at the end of each quarter.

Notwithstanding anything contained in this Act, the collection of the Platform-Based Gig Workers Welfare Contribution shall cease upon the commencement of the collection of contributions to the Social Security Fund, as per Section 141 of the Code on Social Security (CoSS), 2020:

Provided that all funds collected under the Platform-Based Gig Workers Welfare Contribution prior to the cessation shall exclusively be utilized for welfare schemes and initiatives specifically devised for platform-based gig workers, which are not covered under central welfare schemes. Any duplicative schemes or initiatives overlapping between the central and state provisions shall stand discontinued to ensure efficiency and avoid redundancy.

The details of welfare contributions collected and spent at the Platform Based Gig Workers level shall be disclosed and made available for inspection on the Central Transaction Information and Management System (CTIMS).

The CTIMS may be a portal or be integrated with a portal developed for the Platform-based Gig Workers.

Aggregators offering social protection benefits or initiatives, which the Board verifies to align with the welfare schemes notified by the State Government for platform-based gig workers, may be eligible for exemptions on the welfare contributions imposed under this Act.

The Board shall determine the percentage of exemption granted based on the extent and effectiveness of the benefits or initiatives provided, with a maximum exemption of up to 50% of the welfare contribution for that financial year.

Aggregators seeking exemption shall submit relevant documentation and reports on the implementation of such initiatives to the Board for review.

The Board shall establish guidelines and criteria for evaluating whether the social protection initiatives meet the standards required for exemptions, ensuring alignment with the objectives of state welfare schemes.

The Board reserves the right to audit the initiatives and may revoke the exemption if the aggregator fails to maintain compliance with the required standards or the initiatives are discontinued.

CHAPTER : V
Rights of the Platform-based Gig Workers

The platform-based Gig Workers will have the following rights:

Right to Access Benefits -

(a) Be registered with the State Government, provided that the platform-based gig worker has been onboarded or registered with an aggregator and meets the eligibility criteria as prescribed under sub-section 1 of section 10 of this Act, be provided a Unique ID applicable on registration as per the State Government, and

(b) have an opportunity to be heard for any grievances and access appropriate grievance redressal mechanism as specified in Chapter VIIs of the Act, irrespective of the duration of the work.

(c) participate in all decisions taken for their welfare in such manner as prescribed by the State Government,

(d) have access to general and specific social security schemes as may be notified by the Board,

Right to Receive Fair Pay -

(a) The platform-based gig workers must be compensated at least on a weekly basis with no delay in disbursal of pay.

(b) Platform-based gig workers shall be entitled to a minimum remuneration, determined based on the time expended and distance travelled for each task performed as statedin sub-section 1 (f) of section 6. Such remuneration shall ensure that gig workers receive a fair baseline compensation commensurate with the time and effort invested in the performance of their duties.

(c) In the cases of payment deductions, the platform-based gig worker must be informed about the reasons for such deductions in the invoice raised for the work performed by the gig worker.

(d) The platform must ensure that the method and calculation of remuneration for gig workers are transparent. Upon request, the platform shall provide a detailed breakdown of the remuneration, including how it was calculated, to the gig worker in a clear and understandable format.

Right to Work under Occupationally Safe Conditions -

(a) The aggregator must provide and maintain, as far as is reasonably practicable, a working environment that is safe and without risk to the health of the gig worker.

(b) The aggregator shall comply with the applicable, sector-specific, occupational safety and health standards as may be prescribed by the State Government.

Right to Enter into Fair Contracts -

(a) All contracts entered between aggregators and gig workers shall comply with the provisions of this Act.

(b) All service contracts must include:

i. the manner of assigning tasks and making decisions relating to working time and working conditions;

ii. undisturbed communication between workers and their representatives;

iii. provision of accident insurance at the cost of the aggregator;
iv. the manner in which training is provided; and
v. the manner in which a worker may exercise their right to information.

(c) Contracts shall be written in simple language easily comprehensible and shall be available in Hindi and English. The Contract shall be presented in any other language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to the gig worker, if requested by the worker.

(d) Once the contract has been entered into, the platform-based gig worker must be notified of any change in the terms of the contract not less than seven days before the proposed change, and the gig worker shall have the option to accordingly terminate the contract, without any adverse consequences for their existing entitlements under the previous contract.

(e) Gig workers may refuse or reject, with reasonable cause, a specified number of gig work requests per week, as shall be provided in the contractual agreement between the gig worker and the aggregator, without any adverse consequences.

Right to Grievance Redressal and Fair Representation -

(a) The aggregator must inform the gig worker, in simple language and in Hindi, English or any other language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to the gig worker, regarding the procedure to seek information in respect of the application systems employed by the aggregator, which have an impact on their working conditions, including fares, earnings, customer feedback and allied information.

(b) The aggregator must provide a dedicated human point of contact for all clarifications under the provisions of this Act;
Provided that the:-

i. The human point of contact shall be easily accessible to gig workers via multiple communication channels, including but not limited to phone support, email, and in-app assistance.
ii. Aggregators that maintain physical spaces for in-person queries shall ensure these locations are conveniently accessible, situated in key operational zones, and open during standard working hours.
iii. Contact information for worker support, including helpline details, must be clearly displayed on the aggregator's platform, and made available in the local language preferred by the gig worker.

(c) The worker shall have the option of communicating with the point of contact in Hindi, English or any other language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to the gig worker.

(d) The contact information of the point of contact shall be provided on the respective gig workers' account on the platform application.

(e) The worker shall have access to a grievance redressal mechanism as specified in Chapter VII.

Right to Seek Consultation -

(a) The platform-based gig worker may seek consultation from the Board on the contracts, terms of work, or any other parameters which, either individually or collectively, determine the allocation of work, distribution of work, assessment of work carried out, their pay, evaluation system, personal data of the respective gig worker available with the aggregator, and any other such data pertaining to the worker.

(b) In such a case when a gig worker is terminated without a valid reason and/or without a notice of seven (07) days, they may seek consultation from the Board to

reinstate their engagement with an aggregator and rectify any undue consequences of this termination.

(c) However, the aggregator reserves the Right to Terminate a gig worker, effective immediately, in case a threat (physical, mental, or any other) to the end-consumer is foreseen. This may be contested in front of the Board by the gig worker.=

Right to be Informed about Technology Interventions -

(a) The aggregator must communicate the following information regarding the respective gig worker, in writing, in Hindi, English or any other language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to the gig worker, as and when sought by them:

i. the main parameters which, either individually or collectively, are the most important for determining the earnings of the platform-based gig worker, the allocation of work, the distribution of work, the assessment of work carried out, and the grounds for denial of work,

ii. the evaluation system, if any, set up by the aggregator,

iii. Categorization of gig workers, on the basis of the quality of service rendered, log-in time, or any other criteria, where such categorization is employed by the aggregator,

iv. the personal data of the respective gig worker available with the aggregator, such personal data which is processed by the aggregator, including the purposes for which such personal data is processed,

v. any other information that may be prescribed by the State Government.

(b) The aggregator must inform the gig worker, in simple language and in Hindi, English or any other language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to the gig worker, regarding the procedure to seek information in respect of the application systems employed by the aggregator, which have an impact on their working conditions, including fares, earnings, customer feedback and allied information.

Provided that nothing in this Act shall affect any benefit or protection accorded to platform-based gig workers under any other law for the time being in force.

CHAPTER : VI
Responsibility of Aggregators

The aggregator shall take measures to prevent discrimination on the basis of religion, race, caste, gender, or place of birth by the automated monitoring and decision-making systems employed by it.

Aggregators must compensate platform-based gig workers on at least a weekly basis, ensuring no delay in payment disbursal.

Aggregators must communicate and justify any payment deductions, including specifying the reasons within the invoice for the work performed by the gig worker.

Aggregators shall ensure that gig workers receive minimum remuneration based on time spent and distance travelled per task, in accordance with the metrics prescribed by the Board as stated in sub-section 1of section 6 of this Act.

Aggregators must register themselves on the e-Shram portal and obtain login credentials to onboard platform-based gig workers.

Aggregators shall verify whether a worker is already registered on the e-Shram portal before onboarding them. If a worker is not registered, the aggregator shall facilitate their registration.

Aggregators must ensure that each gig worker's UAN, generated through e-Shram, is recorded in their system and shared with the Jharkhand Platform-Based Gig Workers Welfare Board for tracking and verification purposes.

Aggregators must comply and perform the duties with respect to fair contracts as stated in in sub-section 5 of section 16 of this Act.

The aggregator must inform the gig worker, in simple language and in Hindi, English or any other language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to the gig worker, regarding the procedure to seek information in respect of the application systems employed by the aggregator, which have an impact on their working conditions, including fares, earnings, customer feedback and allied information.

Aggregators must provide gig workers with a human point of contact for all clarifications related to the provisions of this Act and may also maintain physical spaces for in-person queries as specified in clause (b) of sub-section6 of section 16 of the Act.

The aggregator must ensure that the contact information of the designated human point of contact is accessible to the gig worker through their platform account.

Aggregators must comply and perform the duties concerning the dissemination of information technology interventions as stated in sub-section 7 of section 16 of the Act.

The contractual agreement entered into between the aggregator and the gig worker shall contain an exhaustive list of grounds for termination of the contract by the aggregator or deactivation of the gig worker from the platform.

The aggregator shall ensure that information on the grievance redressal mechanism in this act is easily accessible on their platform.

Aggregators shall be required to submit detailed pricing data, including base fares, surge pricing patterns, service charges, and any other fees levied on consumers, at regular intervals as prescribed by the Board in sub-section 1 (h) of section 16 of the Act to ensure compliance.

The aggregator may terminate a gig worker only by giving a valid reason/s in writing and with prior notice of seven (07) days. However, in case a threat (physical or mental) is foreseen to the end consumer, the gig worker may be terminated effective immediately.

CHAPTER :VII
Grievances, Appeals and Recovery of Welfare Contribution

The State Government may set up a toll-free call center or helpline as may be considered necessary from time to time to perform any or more of the following functions, namely:

(a) disseminate information on available social security schemes for platform-based gig workers,
(b) facilitate the filling, processing and forwarding of application forms for registration of platform-based gig workers,
(c) assist in the redressal of grievances raised by the platform-based gig workers on the portal,
(d) assist platform-based gig workers in obtaining registration, and
(e) facilitate the enrollment of the registered platform-based gig workers in social security schemes.

A Platform-Based Gig Worker registered under this Act may file a petition in person before an officer to be designated by the State Government as a Grievance Redressal Officer, make a petition through a portal, or communicate the grievance through the Toll-Free Call Centre or Helpline in relation to any grievance arising out of entitlements, payments, and other benefits provided under the Act;

Provided that the link to such portal shall be provided on the platform application of every aggregator registered under this Act

The procedure for the disposal of a petition filed under sub-section (1) of this section shall be such, as may be prescribed.

The officer so authorized under sub-section (1) of this section, upon inquiries, dispose of the said petition by passing an order of redressal and may also issue a direction to the aggregator for payment of appropriate compensation.

An appeal against the order under sub-section (3) of this section shall lie within ninety days from the date of the order before the Appellate Authority as notified by the state government.

Provided that the Appellate Authority may admit the appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

The Appellate Authority shall dispose of the appeal in accordance with the procedure as may be prescribed.

The Appellate Authority shall have the power to review, uphold, or overturn the decision of the Grievance Redressal Officer or Internal Dispute Resolution Committee, as the case may be.

Every aggregator, with more than 50 platform workers registered on their platform, shall constitute an Internal Dispute Resolution Committee for the resolution of disputes resulting from the violation of any provisions of the Act.

The composition and procedures of the Internal Dispute Resolution Committee shall be as prescribed by the State Government.

The Internal Dispute Resolution Committee shall complete its proceedings within thirty days of receipt of a petition filed in person before an officer, or through the portal, or communicate the grievance through the Toll-Free Call Centre or Helpline by or on behalf of the aggrieved party.

In case either of the parties are dissatisfied with the decision of the Internal Dispute Resolution Committee, they may further appeal to the Appellate Authority notified under sub-section 4 of section 19.

Provided that either party may take up the process of arbitration to resolve the dispute among themselves.

CHAPTER : VIII
Offences and Penalties

Save as otherwise expressly provided in this Act, if in, or in respect of, any aggregator, there is any contravention of the provisions of this Act or regulations or rules, or any of standards, made there under or of any order in writing given under this Act or such regulations or rules or standards, the aggregator shall be liable to penalty which shall not be less than fifty thousand rupees.

If the contravention is continued after the conviction, then, with further penalty which may extend to five thousand rupees for each day till such contravention continues.

Where an offence under this Act has been committed by an aggregator and its associate entities, the aggregator shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Notwithstanding anything contained in sub-section 1, where any offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, company secretary or other officer of the company, such director, manager, company secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

Any offence punishable under this Act may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than fifty percent by such officer or authority as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable.

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further

Where an offence has been compounded under sub-section 1, no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offences.

An aggregator shall be liable to a fine not less than ten thousand rupees and up to two lakh rupees for any of the following offences committed under the Act. In the case of a continuing offence, an additional penalty of ten thousand rupees per day may be imposed, subject to a maximum of ten lakh rupees. The offences for which these penalties apply include the following:

(a) does not get registered with the Board;
(b) fails to provide a contract to the gig worker;
(c) fails to notify the gig worker of any change in the terms of the contract;
(d) fails to communicate information sought by the gig worker regarding automated monitoring and decision-making systems;
(e) fails to inform the gig worker regarding the procedure to seek information regarding automated monitoring and decision-making systems;
(f) terminates work on grounds not mentioned in the contract, in violation;
(g) fails to compensate the gig workers in a timely manner as provided;
(h) fails to provide reasons for deductions in pay as provided;
(i) terminates work without notice, in violation;
(j) fails to comply with occupational safety and health standards as prescribed by the State Government;
(k) fails to nominate point of contact as required;

(l) fails to appoint the dispute resolution committee as required;

(m) Failure to comply with the pricing data submission requirement or engagement in prohibited differential pricing practices.

CHAPTER: IX
Miscellaneous

The Board shall prepare every year a report of its activities under this Act during the year and submit the report to the State Government.

The State Government shall, as soon as may be after the receipt of report under sub-section (1) of section 26 of the Act, cause the same to be laid before the House of the State Legislature.

The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force except to the extent the provisions of other laws are inconsistent with the provisions of this Act.

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made there under.

No prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, any Board or committee constituted under this Act or any member of such Board or any officer or employee of the Government or the Board or any other person authorized by the Government or any Board or committee, for any damage caused or likely to be caused by anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made or issued there under.

The Board may, with the prior approval of the State Government, make such regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made there under, as are necessary for the exercise of its powers and the discharge of functions under this Act.

The State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act.

Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or resolves that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done there under.

Every rule made under this Act shall be published in the Official Gazette.

The State Government may, by notification in the Official Gazette include in the Schedule any services provided by aggregators and is in respect of which it considers necessary to apply the provisions of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no order under this section shall be made after expiry of three years from the date of commencement of this Act.

Every order made under this section shall, as soon as may be after it is so made, be laid before the House of State Legislature.

SCHEDULE - I

Services provided by aggregators -

(a) Ride sharing services.
(b) Food and grocery delivery services.
(c) Logistics services.
(d) e-Market place (both marketplace and inventory model) for wholesale/retail sale of goods and/or services Business to Business /Business to Consumer (B2B/B2C).
(e) Professional services provider.
(f) Healthcare.
(g) Travel and hospitality.
(h) Content and media services.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव),
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 3 - 50